भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.2002/एल एम एल/21/16 नई दिल्ली, दि. 4.6.2003

पता:-
संलग्न सूची के अनुसार.

विषय :- भारतीय रेल इंजीनियरी संहिता में संशोधन (संस्करण 1999- तृतीय पुनर्संस्करण)-(पैरा 1030 - धार्मिक संस्थानों को लाइसेंस पर दी गई भूमि के नाम-मात्र लाइसेंस शुल्क में संशोधन).

उपर्युक्त विषय पर सूचना हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिं 28.5.03 की शुद्धि पर्ची सं. 39 संलग्न है.

(के. के. गुप्ता)
कार्यपालक निदेशक/डी. एम
रेलवे बोर्ड.

सं.2002/एल एम एल/21/16 नई दिल्ली, दि. 4.6.2003

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1) ए डी आई (रेलें), नई दिल्ली,
2) लेखा परीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 39 दिनांक 28.5.2003

अध्याय-X पैरा 1030

धार्मिक प्रयोजनों के लिए रेलवे भूमियों को लाइसेंस पर देना.

पैरा 1030 में उल्लिखित पदबंध 100/- रु. वार्षिक को संशोधित करके 1000/- रु. वार्षिक पढ़ा जाए; और पूरा वाक्य निम्नानुसार पढ़ा जाए.

धार्मिक स्थलों के रूप में उपयोग के लिए लाइसेंस पर दी गई रेलवे भूमियों के मामले में शुल्क, 1000/-रु. वार्षिक की एकरूप दर पर वसूल किया जाना चाहिए.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनाक 10.4.2003 का पत्र सं. 2002/एल एम एल/21/16).

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

2002/LML/21/16

New Delhi, Dated 4.6.2003.

Addressed to:
As per list attached.

Sub: Amendments to Indian Railways Code for The Engineering Department (Edition 1999 – Third Re-print Edition) – (Para 1030 - Revision of nominal licence fee of land licensed to religious institutions).

Enclosed please find a Correction Slip No. 39 dated 28.5.03 on the subject for information and necessary action.

(K.K.Gupta)
Executive Director/D.M.
Railway Board.

No. 2002/LML/21/16

New Delhi, Dated 4.6.2003.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1) ADAI(Rlys.), New Delhi.
2) The Director of Audit, All Indian Railways.

INDIAN RAILWAYS CODE FOR THE ENGINEERING DEPARTMENT------EDITION-----1999

Advance Correction Slip No. 39 Dated ~~3.6.2003~~ 28.5.03

Chapter – X Para 1030

LICENSING OF RAILWAY LANDS FOR RELIGIOUS PURPOSES.

The phrase Rs. 100/- p.a. as appearing at Para 1030 should be read as Rs.1000/- p.a.; the full sentence to be read as follows:

In case of railway lands licensed for use as religious places, the fee should be recovered on a uniform rate of Rs. 1000/- per annum.

(Authority: Railway Board's letter No. 2002/LML/21/16 Dated 10.4.2003.